



राजस्थान सरकार
वन विभाग
कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा
(मिनिस्टर ऑफ वन, राजस्थान कोटा ई-मेल - upcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)



क्रमांक-एफ ()उपसं/तक./2025/
निमित्त,

दिनांक: 06-06-2025

अधिसूचनी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड इटावा, कोटा।

विषय:- वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण फ्लोयड माता FP/RJ/ROAD/152647/2022 में भारत सरकार से जारी
सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के क्रम में compensatory levies demand note बाबत।

उपरोक्त विषयान्वित क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर, घर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत
सरकार, ने दिनांक 13.05.2025 को उक्त प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की है, जिसमें अधिरोपित शर्तों
के क्रम में निम्नानुसार compensatory levies demand note जारी किया जाता है :-

शर्त संख्या	अधिरोपित शर्त	प्रतिपूरक शुल्क राशि	वि.वि.
A.1.	Compensatory Afforestation (100 trees)	₹ 4,11,000 X 285 / 259 = ₹ 4,52,259 / -	Based on CA Scheme in Part II corrected to current daily wage rate
A.2.	NPV	₹ 9,57,780 X 0.4425 = ₹ 4,23,818 / -	
A.5.	Boundary Pillars on the borders of diverted land	₹ 13,800 X 2 X 6 = ₹ 1,65,600 / -	One boundary pillar on both sides of road on every 100 mtrs. The rate is based on departmental approved model dated 18.10.2024
Total		= ₹ 10,41,677 / -	

अतः उक्तानुसार उक्तानुसार कुल नियत compensatory levies राशि सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त
संख्या A.7. की पालना में जमा कराकर सभी अधिरोपित शर्तों की compliance report प्रेषित करना सुनिश्चित
करें, ताकि उक्त प्रत्यावर्तन प्रकरण में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति की
व्यवस्थाही अग्रप्रेषित की जा सके।

उप वन संरक्षक, कोटा

क्रमांक-एफ ()उपसं/तक./2025/
प्रतिलिपि श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, कोटा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक: 06-06-2025

Signature valid

Digitally signed by Apoorva Krishna
Srivastava
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2025.06.06 12:53:09 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 15746261



Edit

Annotate

Fill & Sign

Convert

All